125

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1929–तीन / 2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–05–1997 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–144 / अपील / 1996–97

.....

1– पारसनाथ तनय रामाधीन
2– मंगलराम तनय यज्ञशरण
3– रामनिहारे तनय मंगलराम
4– शम्भूनाथ तनय बुद्धसेन
5– नाथूप्रसादतनय बुद्धसेन
6– रामअनुग्रह तनय चन्द्रभान
7– राजकुमार तनय चन्द्रभान
8– चन्द्रभान तनय राममनोहर
निवासीगण–ग्राम महोता, तहसील हनुमना
जिला–रीवा (म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्यामकली पत्नी विश्वनाथ
2– विश्वनाथ तनय निर्वदा
3– कुषलेश्वर तनय विश्वनाथ
4– कमलेश्वर तनय विश्वनाथ
5– लल्लूशरण तनय विश्वनाथ
6– उमाशंकर तनय रामअनुग्राह
निवासीगण–ग्राम महोता, तहसील हनुमना
जिला–रीवा (म0प्र0)

––––––अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15-11-2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि से आवेदकगण का अतिक्रमण हटाये जाने बातत् बेदखली का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसील न्यायालय ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुये विवादित भूमियों पर अप्राधिकृत रूप से अतिक्रमण पाते हुये दिनांक 16.06.1995 को बेदखली का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने विचारोपरांत दिनांक 31.07.1996 को अपील स्वीकार कर, तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व निरीक्षक पहाड़ी और राजस्व निरीक्षक खटखारी से संयुक्त रूप से सीमांकन करायें तथा स्वतः भी स्थल निरीक्षण करें और यदि ऐसा पाया जाता है कि अनावेदकगण की जमीन पर आवेदकगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है तो कब्जा वापसी की कार्यवाही करें । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 31.07.96 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। जहॉ पर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 144/अपील/1996–97 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 30–05–1997 द्वारा द्वितीय अपील स्वीकार करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के विचाराधीन आदेश को निरस्त कर नयाब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि नायब तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का वादग्रस्त भूमि के अंश रकबा में कब्जा है। नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण का वापस कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को उचित न मानते हुये निरस्त किया है तथा प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकगण को जवाब दावा पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। नायब तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण को सुनकर जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया था, किन्तु आवेदकगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि राजस्व निरीक्षक पहाड़ी एवं राजस्व खटखारी से संयुक्त रूप से सीमांकन करने के पश्चात् स्वयं स्थल निरीक्षण कर आदेश पारित करें। उक्त वादग्रस्त भूमि का एक बार सीमांकन हो चुका है और नायब तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण करने के पश्चात ही आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती। ऐसी स्थिति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः सीमांकन हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने के संबंधी आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है और नायब तहसीलदार के आदेश को उचित माना तथा स्थिर रखा है। अतः अपर आयुक्त के आदेश में अवैधानिकता प्रकट नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–1997 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,